समाचार

प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के घर पहुंचे आयुक्त, कहा–आवास का निर्माण कार्य तत्काल करें प्रारंभ

(प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत निगम क्षेत्र में स्वीकृत हुये हैं 4405 आवासगृह, 3937 हितग्राहियों को दिया गया है स्वीकृत, अनुज्ञा पत्र, 2623 हितग्राहियों ने कार्य प्रारंभ नहीं किया)

(प्रधानमंत्री आवास योजना फेस–01 के जिन हितग्राहियों द्वारा राशि प्राप्त होने के बाद भी आवासगृह नहीं बनाया उनसे होगी राशि की वसूली)

कोरबा 02 सितम्बर 2026 – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय आज प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के दर्जनों हितग्राहियों के घरों पर दस्तक दी, जिन हितग्राहियों द्वारा आवासगृहों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा कार्य प्रगति पर हैं, उन हितग्राहियों की पीठ थपथपा कर उन्हें शाबासी दी तथा ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा आवासगृह के निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये गये हैं, उन्हें तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ करने को कहा, उन्होने कहा कि प्लिंथ लेवल निर्माण के बाद ही राशि प्रदान की जायेगी। आयुक्त श्री पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री आवास योजना फेस –01 के जिन हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण कार्य नहीं किया गया है या कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, उनसे राशि की वसूली करें, यदि राशि जमा नहीं की जाती तो उनके विरूद्ध राशि गबन की एफ.आई.आर. दर्ज करायें।

यहॉ उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की जनकल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में 4405 आवासगृहों की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है, इसके तहत निगम द्वारा 3937 हितग्राहियों को आवासगृहों की स्वीकृति पत्र व भवन निर्माण

अनुज्ञा पत्र प्रदान कर समयसीमा में आवासगृह का निर्माण कार्य प्रारंभ कर कार्यो में अपेक्षित प्रगति लाने को कहा गया है, किन्तु 2623 हितग्राहियों द्वारा अभी तक आवासगृहों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है। आयुक्त श्री पाण्डेय के निर्देश पर निगम के सभी 07 जोन के जोन कमिश्नर व उनकी टीम हितग्राहियों के घर–घर पहुंचकर आवासगृहों के निर्माण की कार्यप्रगति की जानकारी ले रही है तथा जिन हितग्राहियों के द्वारा आवासगृहों का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नही किया गया है, उन्हें प्रेरित, प्रोत्साहित व समझाईश देकर निर्माण कार्य तुरंत प्रारंभ करने को कहा जा रहा है।

<u>विभिन्न बस्तियों में पहुंचे आयुक्त</u> – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय आज अधिकारियों की टीम के साथ कोरबा, पं.रविशंकर नगर, टी.पी.नगर, कोसाबाड़ी, दर्री आदि क्षेत्रों की विभिन्न बस्तियों का भ्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के दर्जनों हितग्राहियों से भेंट की तथा उनसे आवासगृहों के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली, जिन हितग्राहियों को निगम द्वारा स्वीकृति पत्र, भवन अनुज्ञा व प्रथम किश्त की राशि दी जा चुकी है, उनमें से ऐसे हितग्राही जिन्होने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है, उन्हें आयुक्त श्री पाण्डेय ने बधाई दी, उनकी पीठ थपथपा कर प्रोत्साहित किया तथा कार्य को समयसीमा में पूरा करने को कहा।

<u>आवास निर्माण नहीं कराया, होगी राशि की वसूली, दर्ज होगी एफ.आई.आर.</u> – प्रधानमंत्री आवास योजना फेस–01 के जिन हितग्राहियों द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया गया है या कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है, उनसे राशि की वसूली होगी तथा यदि उनके द्वारा राशि जमा नहीं कराई जाती तो उनके विरूद्ध राशि गबन किये जाने की एफ.आई.आर. भी पुलिस में दर्ज कराई जायेगी। आज आयुक्त श्री पाण्डेय ने भ्रमण के दौरान उक्ताशय के निर्देश निगम के अधिकारियों को दिये। उन्होने योजना के सी.एल.टी.सी. को नोटिस जारी किये जाने के निर्देश भी प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभारी को दिये।

<u>समय पर पूरा करें कार्य, गृह प्रवेश सम्मान योजना का लाभ लें</u> – आयुक्त श्री पाण्डेय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से अपील करते हुये कहा है कि आवासगृहों का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि के अंदर पूर्ण कर राज्य सरकार की गृहप्रवेश सम्मान योजना का लाभ प्राप्त करें। यहॉ उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गृहप्रवेश सम्मान योजना क्रियान्वित की गई है, जिसकेस तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के जिन हितग्राहियों द्वारा निर्धारित अवधि 18 माह के अंदर आवासगृहों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाता है, उन्हें सम्मान स्वरूप 32,850 रूपये की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है।